

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 1973/आषाढ 11, 1895

No. 243] NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 1973/ASADH 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 2nd July 1973

S.O. 368 (E).—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 143, dated the 9th January, 1967 (as amended by the Order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 3251, dated the 30th August, 1971), and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2081, dated the 18th May, 1971, the Central Government hereby authorises, with immediate effect, Shri B. N. Vali to take over the management of the whole of the Mahalakshmi Mills Company Limited, Beawar, vice Shri P. C. Gupta, until further orders.

[F. No. 28013/46/73-Tex (G)]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1973

का० आ० 368 (अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65), की धारा 18ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 143, दिनांक 9 जनवरी, 1967 (भारत सरकार के—भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3251, दिनांक 30 अगस्त, 1971 द्वारा संशोधित रूप में) को अंशतः संशोधित करने हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2081, दिनांक 18 मई, 1971, का अभिक्रमण करने हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी० एन० वादी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश देने तक के लिए श्री पी० सी० गज्जल के स्थान पर सम्पूर्ण सहानुभूति मिल्य कम्पनी लि० व्यापार, का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं० फा० 28013/46/73-टैक्स० (जी)]

डी० के० सक्सेता, संयुक्त सचिव।